

प्रेषक,

उमेश चन्द्र पाण्डे-II,
विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट,
बाराबंकी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा: श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
बाराबंकी।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 से सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि उक्त वित्तीय वर्षों की सकल आय रूपये 50,59,375/- के सापेक्ष जी०पी०एफ०, जी०आई०एस०, आय कर, गृह ऋण, कार ऋण, पी०पी०एफ० व बीमा पालिसी में जमा धनराशियों के सम्बन्ध में स्पष्ट करना है कि त्रुटिवश प्रतिवर्ष पी०पी०एफ० खाते में वार्षिक अंशदान तथा गृह ऋण, कार ऋण की मासिक किश्तों का उल्लेख उक्त सम्पत्ति विवरण में किये जाने से छूट गया था।

वित्तीय वर्षों 2020-21 तथा 2021-22 में पी०पी०एफ० में वेतन से किये गये वार्षिक अंशदान रूपये 150,000/- तथा गृह ऋण के मद में रूपये 38,000/- मासिक किश्तें और कार ऋण के मद में रूपये 19,200/- मासिक किश्तें अदा की गई थीं। पी०पी०एफ० खाते की धनराशि में अतिरिक्त बढ़ोत्तरी पिछले वर्षों में सीमित जमा धनराशि से प्राप्त ब्याज सहित मूलधन की है।

मेरे द्वारा वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 में पी०पी०एफ० व एल०आई०सी० के मद में कुल धनराशि जो वेतन से जमा की गयी (रू० 1,50,000 + 21,900 + 1,50,000 + 21,9000) = 3,43,800/- रूपये थी और गृह ऋण के मद में जमा धनराशि 38000/- रूपये मासिक के हिसाब से कुल द्विवार्षिक 9,12,000/- रूपये तथा कार ऋण के मद में कुल द्विवार्षिक 4,60,800/- रूपये थी तथा स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक के उल्लिखित बचत खातों में भी पूर्व में जमा धनराशियों पर ब्याज सहित बढ़ोत्तरी दोनों वर्षों के दौरान मात्र 7,86,094/- रूपये थी। जी०पी०एफ०, जी०आई०एस० व आयकर के मद में मेरे द्वारा किया गया कुल अंशदान 16,76,767/- रूपये था।

तदनुसार पी०पी०एफ०, एल०आई०सी०, गृह ऋण, कार ऋण, जी०पी०एफ०, जी०आई०एस० व आयकर तथा ब्याज सहित बचत खातों में जमा धनराशि को मिलाकर कुल अंशदान 41,79,461/- रूपये का था। मेरे द्वारा दोनों वर्षों में वेतन से प्राप्त होने वाली आय 50,59,375/- रूपये थी। इस प्रकार उक्त वर्षों में मेरे द्वारा वेतन से प्राप्त कुल धनराशि से आयकर, गृह व कार ऋण की अदायगी उपरान्त विभिन्न बैंकों में निवेश के बावजूद लगभग 8,79,914/- रूपये घरेलू मद में व्यय के लिए उपलब्ध थे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि मेरे गांव की पैत्रिक संयुक्त परिवार की कृषि

वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान प्राप्तियाँ, निवेश और अंतर:-

वर्ष	बचत खातों में वार्षिक अन्तर	निवेश	ऋण अदायगी HL=House Loan CL=Car Loan	कटौतियाँ एवं आयकर IT=Income Tax
2020-21	Rs. 721161.00	PPF Rs. 150000.00 LIC Rs. 21900.00	HL38000x12 =Rs. 456000.00 CL-19200x12 =Rs. 230400.00	GPF-Rs. 305000.00 GIS- Rs. 4800.00 IT- Rs. 353668.00 —
		योग- Rs. 171900.00	योग वार्षिक- Rs. 686400.00	योग - Rs. 663468.00
2021-22	Rs. 64933.00	PPF Rs. 150000.00 LIC Rs. 21900.00	HL38000x12 =Rs. 456000.00 CL-19200x12 =Rs. 230400.00	GPF- Rs. 458668.00 GIS- Rs. 4800.00 IT- Rs. 349831.00 —
		योग- Rs. 171900.00	योग वार्षिक- Rs. 686400.00	योग - Rs. 1013299.00
	द्विवार्षिक योग- Rs. 786094.00	द्विवार्षिक योग- Rs. 343800.00	द्विवार्षिक योग- Rs. 1372800.00	द्विवार्षिक योग- Rs. 1676767.00

द्विवार्षिक आय- Rs. 5059375.00

कुल निवेश तथा अदायगियाँ Rs. 786094.00 + Rs. 343800.00 + Rs. 1372800.00 + Rs. 1676767.00 = Rs. 4179461.00

खर्च के मद में उपलब्ध धनराशि- Rs. 879914.00

Amesh Chandra Pande

(उमेश चन्द्र पाण्डे)
विशेष न्यायाधीश(आ०व०अधि०),
बाराबंकी।

2.

योग्य भूमि पर खेती भी होती है जिसमें विभिन्न फसलें पैदा होती हैं जिससे घरेलू खर्चों में अतिरिक्त सहयोग भी प्राप्त होता रहता है। मेरे सादगीपूर्ण जीवन शैली के कारण अनावश्यक खर्चों की आदत नहीं है। मेरी बचत व खर्चों आय से अधिक नहीं हैं। मेरा छोटा परिवार व संयमित जीवन है।

न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के उपरांत एल०एल०एम० की तीन वेतन वृद्धियां, ईंधन प्रतिपूर्ति, जलपान व चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र, मोबाइल/टेलीफोन सुविधा, विजली सब्सिडी, किराया मुक्त आवास आदि मिलते हैं। अवकाश नकदीकरण व पोशाक भत्ता, स्थानान्तरण टी०ए० आदि के रूप में भी समय-समय पर नियमानुसार अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई तथा जीवन बीमा में किये गये निवेश से भी समय-समय पर धन वापसी हुई जिसे व्यक्तिगत व पारिवारिक खर्चों में उपयोग किया गया।

तदनुसार आख्या माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर!

दिनांक: 08.11.2023

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Umesh Chandra Pande

(उमेश चन्द्र पाण्डे-II)

विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट)

बाराबंकी।